



93



न्यायालय मानीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म०प०)

पु०क्र० :- - - १७-१५ निराराने।पो०व्हेआर

PBR/किगराती/ग्वालियर(1)भूरा/2018/0584

बोम्पकाश शर्मा पुत्र श्री० श्री रामभरोसे शर्मा
निवासी साखानार मुरार जि० ग्वालियर

- - - प्रार्थ

वनीम

१- श्रीमती प्रेमाबाई पत्नी श्री बाबूराम शर्मा
निवासी शिवनार कुम्हपुरा मुरार ग्वालियर

२- श्रीमती मुरीबाई पत्नी लालाराम पुत्री मंगलसाद
ब्राह्मण नि० ग्राम सहोना तह०पिहोर जिला
ग्वालियर

३- सावी पत्नी टोकाराम पुत्री मंगलसाद ब्रा०
निवासी ग्राम गुदावली तह० मेहगाव जिला
भिण्ड,

४- श्रीमती बाई पत्नी स्व० बालाराम शर्मा
पुत्री स्व० मंगलसाद ब्रा०नि०ग्राम गुदावली
तह० मेहगाव जिला भिण्ड म०प०

- - फारमल पदाकार
प्रतिप्रार्थगण

श्री. मकधेश राजेश कर्ता
द्वारा आज दि० 19-1-18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 7-2-18 निमत।

कलर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर
19-1-18

Noted
19-1-18

निराराने अन्तर्गत धारा ५० म०प०मूरारोसहित १९५६ वि०द्व पु०क्र०
३०। १६-१७ अपील मे पारित आदेश दि० १८-८-१७ व आदेश दि०
६-१-२०१८ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ग्वा० (ग्रामोण)

(Signature)

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/ग्वालियर/भूरा/18/0584

जिला ग्वालियर

| स्थान व दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|----------------|---|--------------------------------------|
| 15-2-18 | <p>आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-8-17 एवं दिनांक 9-1-18 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा प्रकरण में पारित अंतरिम आदेश दिनांक से 18-8-17 द्वारा धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करते हुये आगामी तिथि तक के लिये स्थगन दिया गया था जो प्रकरण की परिस्थिति एवं पीठासीन अधिकारी के स्वविवेक पर निर्भर करता है, जिसमें कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है तथा अंतरिम आदेश दिनांक 9-1-18 प्रकरण अंतिम बहस हेतु नियत किया गया है, जिसमें भी प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि नहीं है। अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।</p> | |




अध्यक्ष